छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग से संबंधित आवश्यक जानकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग से संबंधित आवश्यक जानकारी

(i) आयोग की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

(viii) ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप मे या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(xiv) किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसके उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

उद्देशिका (मिशन स्टेटमेंट)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, का गठन राज्य शासन द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसरण में किया गया है। आयोग उक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करता है। आयोग का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत, जो कि विकास का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, वाणिज्यिक नीति पर आधारित होते हुए भी, ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो जो जन–साधारण की पहुँच में हो। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु ऐसे दिशा–निर्देश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु क्रियाशील है जिनसे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। अपने कार्य को संपन्न करने हेतु आयोग, इस विषय से संबंधित समस्त व्यक्तियों विशेषतः उपभोक्ताओं की भागीदारी प्राप्त करने के प्रति सदा–सर्वदा सजग है। आयोग, राज्य में ऐसे विनियमित परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश में विद्यमान ताप–विद्युत एवं जल–विद्युत तथा विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले तथा साथ ही साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी न हो।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने के अनुक्रम में आयोग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए हैं तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में आयोग द्वारा तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 104(4) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखे एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन भी आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। उक्त दोनों प्रतिवेदन तथा संपरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य शासन द्वारा विधान–सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002 दिनाँक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के द्वारा किया गया। अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष आयोग के मुख्य कार्यपालक होते हैं। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष श्री हेमन्त वर्मा हैं, सदस्य के पद रिक्त हैं।

आयोग का संगठनात्मक चार्ट :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया। राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 10–3/2004/13/1 दिनांक 28.

05.2010 द्वारा एवं समय–समय आयोग हेतु स्वीकृत पदों की संख्या सम्मिलित कर दिनांक 01.12.2022 की स्थिति में संगठनात्मक विवरण निम्नानुसार है:

स. क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद की संख्या	रिक्त पद की संख्या
	आयोग सचिवालय				
1.	सचिव	लेवल–17	1	01	–
2.	उप सचिव	लेवल–14	1	01	–
3.	उप निदेशक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	लेवल–13	1	–	01
4.	उप निदेशक (रेगुलेटरी अफेयर्स)	लेवल–13	1	–	01
5.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	लेवल–12	1	01	–
6.	अनुभाग अधिकारी	लेवल–10	1	–	01
	इंजीनियरिंग विभाग				
7.	निदेशक	लेवल–17	1	01	–
8.	संयुक्त निदेशक	लेवल–14	1	–	01
9.	उप निदेशक	लेवल–13	1	01	
10.	सहायक संचालक	लेवल–12	1	01	–
	टैरिफ विभाग				
11.	निदेशक	लेवल–17	1	01	–
12.	संयुक्त निदेशक	लेवल–14	1	–	01
13.	उप निदेशक	लेवल–13	1	01	–
14.	सहायक संचालक	लेवल–12	1	01	
	वित्त विभाग				
15.	अर्थप्रबंध सलाहकार	लेवल–15	1	01	–
16.	वित्तीय सलाहकार	लेवल–14	1	–	01
	विधि विभाग				
17.	निदेशक	लेवल–17	1	–	01
18.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	लेवल–14	1	–	01
19.	विधि अधिकारी	लेवल–13	1	–	01
	प्रशासकीय विभाग				
20.	लेखाधिकारी	लेवल–12	1	01	–
21.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	लेवल–12	1	01	–
22.	निज सचिव	लेवल–11	2	02	–
23.	निज सहायक	लेवल–9	4	02	02
24.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	लेवल–9	2	–	02
25.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	लेवल–9	1	01	–
26.	सहायक ग्रेड–1	लेवल–9	1	01	–
27.	स्टेनोग्राफर	लेवल–7	5	–	05
28.	कम्प्यूटर सहायक	लेवल–6	3	–	03
29.	सहायक ग्रेड–2	लेवल–6	4	02	02
30.	स्टेनो टायपिस्ट	लेवल–4	4	–	04
31	सहायक ग्रेड–3	लेवल–4	5	04	01
32	वाहन चालक	लेवल–4	4	03	01

33.	भृत्य	लेवल–1	11	05	06
34.	माली	लेवल–1	1	–	01
	योग		**68**	32	36

आयोग के कृत्यः –

(1) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और संचरण (व्हीलिंग) के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ट्रेडर, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया का एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा संचरण को सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना ।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिये अनुज्ञप्ति प्रदाय करना।

(v) विद्युत के सह उत्पादन एवं नवीकरणीय स्रोतो से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोज्यता के समुचित उपाय विनिर्दिष्ट करना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक को उसके क्षेत्र में खपत का एक प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय हेतु निर्धारित करना।

(vi) अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निराकरण करना और माध्यस्थम के लिये किसी विवाद को निर्दिष्ट करना।

(vii) अधिनियम के उद्देश्यों हेतु शुल्क नियत करना।

(viii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत राज्य ग्रिड कोड का विनियमन।

(ix) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(x) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(xi) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 86(2) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को विनिदिष्ट किया गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य एवं दूरभाष क्रमांक आदि

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	फोन न.	कृत्य एवं शक्तियाँ	वेतनमान
1.	श्री हेमन्त वर्मा	अध्यक्ष	0771–4073550	आयोग के मुख्य कार्यपालक है तथा सदस्य महोदय के साथ मिलकर टैरिफ निर्धारण व अन्य याचिकाओं का निराकरण कर आदेश /निर्णय पारित करना	रू. 225000/– एवं अन्य भत्ते
2.	रिक्त	सदस्य/सदस्य (विधि)	0771–4073551	अध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर टैरिफ निर्धारण व अन्य याचिकाओं का निराकरण कर आदेश /निर्णय पारित करना	182200/– एवं अन्य भत्ते
3.	श्री एस.पी.शुक्ला	सचिव	0771–4073568	(1) याचिकाओं/आवेदनों को प्राप्त करना, इनकी सार एवं संक्षेपिकाऐं तैयार करवाना, आयोग के आदेशों के प्रतिलिपियों को अभिप्रमाणित करना, विभिन्न कार्यों में आयोग का सहयोग करना, आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आदि। (2) आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	लेवल–17
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह	निदेशक (टैरिफ)	0771–4016219	आयोग के समक्ष आने वाले टैरिफ याचिकाओं के तकनीकी पक्ष का विशलेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	लेवल–17
5.	श्री कमलेश कुमार दिल्लीवार	निदेशक (इंजीनियरिंग)	0771–4057436	आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	लेवल–17
6.	श्री सुरोबिन रॉय	आर्थिक सलाहकार स्थापना शाखा का अतिरिक्त प्रभार	0771–4073554	आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने वाले मामलों में आवश्यक होने पर वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना एवं आयोग को अन्य वित्तीय सलाह देना।	लेवल–15

7.	सुश्री प्राची श्रिवास्तव	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)		आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	प्रतिनियुक्ति
8.	सुश्री रेशमा सेतपाल	उप निदेशक (टैरिफ)		आयोग के समक्ष आने वाले टैरिफ याचिकाओं के तकनीकी पक्ष का विशलेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	प्रतिनियुक्ति
9.	श्री अमल गुहा	स्टॉफ अफिसर	0771–4073550	आयोग के अध्यक्ष के स्टॉफ अफिसर	लेवल–13
10.	श्री पी. वेणुगोपाल	लेखाधिकारी	0771–4073561	आयोग के लेखांकन का कार्य	लेवल–12
11.	श्री इंद्रेश गुप्ता	सहा. निदेशक (सू.प्रौ. एवं रिम्स)	0771–4050792	सू.प्रौ. एवं रिम्स से संबंधित कार्य	लेवल–12
12.	श्री नीरज वर्मा	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	0771–4073555	कम्प्यूटर से संबंधित कार्य	लेवल–12
13.	श्री ए.वल्ला नायडू	निज सचिव	0771–4069817	अंग्रेजी शीघ्रलेखन संबंधी कार्य	लेवल–11
14.	कु. जयंती मंडावी	निज सहायक	0771–4089285	हिन्दी शीघ्रलेखन संबंधी कार्य	लेवल–9
15.	श्री विजेन्द्र चंद्राकर	निज सहायक		अंग्रेजी शीघ्रलेखन संबंधी कार्य	लेवल–9
16.	श्री अशोक मंडल	कनिष्ठ लेखाधिकारी	0771–4048585	लेखा संबंधी कार्य	लेवल–9
17.	श्री महेश टेम्भूर्णे	का.सा.वर्ग–1	0771–4073555	स्थापना एवं आवक जावक संबंधी कार्य	लेवल–9
18.	श्री मनोज लहरे	का.सा.वर्ग–2	0771–4069817		लेवल–6
19.	श्री देवेनगिरि गोस्वामी	का.सा.वर्ग–2	0771–4069817		लेवल–6
20.	श्री दीपक शुक्ला	का.सा.वर्ग–3			लेवल–4
21.	श्री लीलाधर टण्डन	का.सा.वर्ग–3			लेवल–4
22.	श्री देवानन्द बाग	का.सा.वर्ग–3			लेवल–4
23.	श्री मनमोन लाल कुशवाहा	का.सा.वर्ग–3			लेवल–4

राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 एवं 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा राज्य सलाहकार समिति एवं उसके अधीनस्थ सेवा नैमित्तिक से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004 बनाया गया है।

उपरोक्त विनियम के अनुसरण में समय–समय पर निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये गये है:–

क्रमांक	**नाम एवं पता**	**प्रतिनिधित्व**
1.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, रायपुर, (छ.ग.)।	विशेष आमंत्रित

2.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर।	पदेन सदस्य
3.	प्रबंध निदेशक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., डंगनियां, रायपुर।	अनुज्ञप्तिधारी
4.	निदेशक, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर।	अनुसंधान निकाय
5.	मुख्य विद्युत वितरण इंजीनियर (सी.ई.डी.ई.), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, विद्युत विभाग, बिलासपुर।	परिवहन के प्रतिनिधि
6.	महा सचिव, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, रायपुर।	उद्योगों के प्रतिनिधि
7.	श्री सरोज महापात्रा, सदस्य ''प्रदान'' ई–2/28, द्वितीय तल, गुरू घासीदास कॉलोनी, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर।	गैर सरकारी/ अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
8.	श्री अमित वर्मा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सदस्य, ग्राहक पंचायत, एच.आई.जी.–61, सेक्टर–1, देवेन्द्र नगर, रायपुर।	उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
9.	डॉ. शुभ्रता गुप्ता, प्रोफेसर, ईलेक्ट्रिकल विभाग, राष्ट्रीय प्रद्यौगिकी संस्थान, जी.ई. रोड, रायपुर।	शैक्षणिक निकाय के प्रतिनिधि
10.	श्री सत्यसिबा दास, प्रोफेसर, ऑफिस न. 109, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग (कर्मशिला), भारतीय प्रबंधन संस्थान, अटल नगर, कूररू (अभनपुर) रायपुर–492661	शैक्षणिक निकाय के प्रतिनिधि
11.	डॉ. दीपक शर्मा, विभागाध्यक्ष, जेनेटिक एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग, इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर – 492012	शैक्षणिक निकाय के प्रतिनिधि
12.	श्री उमेश चितलांगिया, अध्यक्ष, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई), छत्तीसगढ़ स्टेट कॉउंसिल, 12 जल विहार कॉलोनी, तेलीबांधा तालाब के पीछे, रायपुर–492001,	उद्योगों के प्रतिनिधि
13.	श्री अशोक श्रीनिवास, ग्रुप कोऑडिनेटर, प्रयास (एनर्जी ग्रुप), यूनिट III ए एंड बी, देवगिरी, जोशी रेलवे संग्रहालय लेन, कोथरुड औद्योगिक क्षेत्र, कोथरुड, पुणे (महाराष्ट्) 411038	गैर सरकारी /अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
14.	सचिव, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ, 34CG+FX5, आरएनएम पब्लिक स्कूल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, तिफरा, बिलासपुर।	उद्योगों के प्रतिनिधि
15.	श्री केतन दोशी, ''तुलसी'' रत्नाबंधा रोड धमतरी, धमतरी – 493773 (छत्तीसगढ़)	उपभोक्ता के प्रतिनिधि
16.	चेम्बर प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, चौ. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, द्वितीय तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर	बाणिज्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) का ब्यौरा

(1) सीजीआरएफ रायपुर (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के उपभोक्ताओं हेतु)

श्री आर.के. मिंज (अध्यक्ष), श्री निमिश परमार (सदस्य),

पता– कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) रायपुर, सी–5, विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.)

फोन : 0771–2593112

कार्यक्षेत्र–मुख्य अभियन्ता (छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी) रायपुर, दुर्ग, एवं राजनांदगांव का सम्पूर्ण परिक्षेत्र।

(2) सीजीआरएफ बिलासपुर (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के उपभोक्ताओं हेतु)

श्री बी.एल. वर्मा (अध्यक्ष), श्री डी.के. विश्वकर्मा (सदस्य),

पता –कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) बिलासपुर, क्वा.नं. बी–1, पुराना विद्युत मंडल कालोनी, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

फोन : 07752–427010

कार्यक्षेत्र–मुख्य अभियन्ता (छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी) बिलासपुर एवं अम्बिकापुर का सम्पूर्ण परिक्षेत्र।

(3) सीजीआरएफ जगदलपुर (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के उपभोक्ताओं हेतु)

श्री प्रदीप कुमार कनवर (अध्यक्ष),

पता –कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) जगदलपुर, (छ.ग.)

फोन : 07782–225095

कार्यक्षेत्र–मुख्य अभियन्ता (छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी) जगदलपुर एवं बस्तर का सम्पूर्ण परिक्षेत्र।

(4) सीजीआरएफ रायगढ़ (वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिंदल स्टील एंड पॉवर लि. के उपभोक्ताओं हेतु)

श्री अभिषेक रोबिनसन (अध्यक्ष), श्री अन्सू मोहन्ति (सदस्य),

पता– कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) रायगढ़, जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, खरसिया रोड, पो.बॉक्स नं.–16, रायगढ़ (छ.ग.) फोन : 97774.46011

कार्यक्षेत्र –रायगढ़ जिले में स्थित पूंजीपथरा एवं तुमडीह गांव के विद्युत उपभोक्ता जिन्होंने JSPL से विद्युत आपूर्ति ले रखी है।

(5) सीजीआरएफ भिलाई (वितरण अनुज्ञप्तिधारी सेल–भिलाई स्टील प्लांट के उपभोक्तओं हेतु)

पता– कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) भिलाई, पुराना मरोदा हिन्दी मिडियम स्कूल, भिलाई स्टील प्लांट, डीपीएस के पीछे, मरोदा भिलाई (छ.ग.) फोनः 0788–2858383

कार्यक्षेत्र–भिलाई शहर के उपभोक्ता जिन्होंने BSP से विद्युत आपूर्ति ले रखी है।

विद्युत लोकपाल (इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन) (सभी अनुज्ञप्तिधारकों के उपभोक्ताओं हेतु)

श्री एस.पी. शुक्ला, प्रभारी विद्युत लोकपाल (इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन) पता– कार्यालय विद्युत लोकपाल, विद्युत नियामक आयोग भवन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग)

फोन – 0771–4022249, 0771–4089285

कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश।

निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

आयोग की कार्यप्रणाली

अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि आयोग अपने कार्य निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता बरतेगा एवं इसमें उपभोक्ताओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करेगा। आयोग की कार्यप्रणाली अर्धन्यायिक प्रकृति की है। आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा ''कार्य संचालन विनियम, 2009'' बनाया गया है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क लाईसेंसी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हो सकेगा या वह कार्यवाही में भाग लेने एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक तथा समय पर कर अधिनियम के तहत् उसे निपटाने की कोशिश करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है ।
- विद्युत अधिनियम के अनुसार आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा। आयोग मामले के निराकरण हेतु इसे मध्यस्थ को अग्रेषि कर सकता है।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के लिए आदेश कर सकेगा ।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।
- यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार के शिकायत के आधार पर आवश्यक कार्यवाही कर सकता है ।

- इसके साथ यदि व्यक्ति निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है ,जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।
- आयोग के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई खुले रूप से होती है जहाँ कोई भी संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकता है। उपर्युक्त मामलों में उपभोक्तओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

आयोग की शक्तियाँ

(1) विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः—

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ;

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज/साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य संदर्भित सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति के लिये या;

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये निर्देश जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है। उपरोक्त विनियम बनने के पूर्व प्रारूप विनियमों तथा अन्य दिशा निर्देशों पर जन सामान्य तथा विशेष रूप से प्रभावित घटक—संस्थाओं, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, अनुज्ञप्तिधारियों, शासन, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से उपरोक्तानुसार सुझाव आपत्तियाँ तथा टिप्पणियाँ प्राप्त की जाती है ।

आयोग द्वारा विनियम बनाने की प्रक्रिया अधिसूचना (नोटिफिकेशन) द्वारा की जाती है। अधिसूचना का अभिप्राय छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। धारा 181 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा बनाए गए समस्त विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

अतः पूर्व प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

- प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट पर रखे जायेंगे तथा प्रारूप विनियमों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय व पुस्तकालय में कार्यालय के कार्य–अवधि में कार्य दिवसों में उपलब्ध होंगी।
- प्रारूप विनियमों के बारे में आपत्ति/सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु सर्वाधिक प्रसारित दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा आयोग के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूचना में संक्षेप में विनियम की विषय–वस्तु समाविष्ट होगी।
- प्रारूप विनियम की एक–एक प्रतिलिपि निम्नलिखित में से प्रत्येक को भेजी जायेगी:–

  (क) राज्य शासन के ऊर्जा विभाग में

  (ख) राज्य सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को ।

  (ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को ।
- दो सप्ताह या उससे अधिक समय जैसा आयोग द्वारा समुचित माना जाये, आपत्तियाँ, सुझाव व टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा।
- समुचित प्रकरणों में आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों, सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर अथवा अन्यथा प्रारूप विनियम पर जन–सुनवाई की जा सकती है।
- विनियम का अंतिम रूप, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाये; छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा। प्रकाशन के उपरांत विनियम को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना आयोग के आम सूचना–पटल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा एक प्रेस–विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार स्थापना वर्ष 2004 से लेकर अब तक आयोग ने अनेक विनियम तैयार किये हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

विद्युत के प्रदाय हेतु टैरिफ का निर्धारण

आयोग के द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार विद्युत कम्पनियों को प्रति वर्ष नवम्बर के अन्त तक विद्युत दरों के निर्धारण हेतु याचिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।

टैरिफ निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

(i) याचिका की प्राप्ति

(ii) आपत्तियां एवं टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिये प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन

(iii) कम्पनियों द्वारा याचिका में प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हो तो उसका प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन

(iv) टैरिफ आवेदन पर विचार के लिए राज्य विद्युत सलाहकार समिति की विशेष बैठक आहूत करना

(v) राज्य के विभिन्न स्थानों पर जन सुनवाई करना

(vi) टैरिफ आदेश पारित करना
(आवेदन से लेकर आदेश पारित होने की अवधि अधिकतम 120 दिवसों की होती है)

अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु स्थापित मानदंड

टैरिफ निर्धारण हेतु प्रस्तुत आवेदन को आगे कार्यवाही हेतु स्वीकार करने के दिनांक से 120 दिनों के भीतर आवेदन का अंतिम निराकरण करने की समय सीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है। अन्य मामलों का निराकरण यथा संभव शीघ्रातिशीघ्र किया जाता है।

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम विनियम आदि

आयेाग ने अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु विभिन्न विनियम बनाये हैं। जो आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है।

बजट संबंधी जानकारी

विद्युत अधिनियम,2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्र.36 सन् 2003) की धारा 180 उपधारा (2) के खण्ड (ज) एवं (झ) सहपठित धारा 104 एवं धारा 106 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 बनाया गया। जिसके तहत आयोग द्वारा वित्तीय बजट प्रत्येक वर्ष के सितम्बर माह के अंत तक तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है।

सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रत्येक आवेदन 10/– रू. के आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावेगा। फोटोकॉपी हेतु प्रतिपेज 2/– रू की दर से शुल्क देय होगा ।

जन सूचना अधिकारी –

श्री पी. वेणु गोपाल, लेखाधिकारी
फोन न. 0771–4073561

सहायक जन सूचना अधिकारी–

श्री इन्द्रेश गुप्ता, सहा. निदेशक (सू.प्रौ. एवं रिम्स)
फोन न. 0771–4050792

अपील

जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए निराकरण से असंतुष्ट व्यक्ति सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अपील हेतु 50/– का शुल्क देय होगा।

अपीलीय अधिकारी–

श्री एस.पी. शुक्ला, सचिव
फोन न. 0771–4070568

आयोग से संबंधित अन्य सभी जानकारी आयोग की वेबसाइट **www.cserc.gov.in** पर उपलब्ध है।